

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

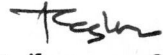
क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-12205 / 6498

दिनांक :- 05-01-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III)के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	लिंक नंबर	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है।
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	
1	2	3	(4)	5
1	12205 / 2013	श्रीमती वंदना कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार	दिनांक 15.10.2020 से 20.10.2020 तक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डेगाना (नागौर)


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-12205 / 6498

दिनांक :- 05-01-2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डेगाना (नागौर) को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावे।
3. श्रीमती वंदना कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डेगाना (नागौर)।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)